127/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 127/2015 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी, 13 मुकर्जीनगर श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

17.02.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2015 के द्वारा नोडल ऑफिसर चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सेक्ट्रेट, जयपुर से निम्न सूचना चाही थी:--

> Encolsed is the copy of news published by Newspaper Business Standard, through Press Trust of India, Bharatpur Dated October 10,2013 in which it is stated that the then DSO of Bharapur Mr. Harbhajan Singh was sentenced one month jail term and their properties worth Rs 50000t0 be attached by the Hon'ble court of Additional civil Judicial Magistrat Mr. Kedarnath. Mr. Harbhajan was found quilty of Contempt of court.
>
> So under the RTI Act 2005 please Give the information regarding the implementation of Hon'ble Court's order, dates of jail term of Mr. Harbhajan Singh and the information departmental action taken on Mr. Harbhajan singh of his non compliance of Hon'ble court's order and contempt.

अपीलार्थी श्री योगेश कुमार टेकवाणी का आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उपसचिव, ,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को दिनांक 22.07.15 को प्रेषित किया व राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (प्रथम) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2015 को श्री हरभजन सिंह जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को सूचनांए उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित किया जाकर उनके द्वारा अपीलार्थी को भी सूचित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2015 से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 5065 दिनांक 15.09.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का उक्त आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.08.15 को प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना पत्र संख्या 4693 दिनांक 21.08.15 के द्वारा समय अवधि में अपीलार्थी को दे दी गई है अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 4693 दिनांक 21.08.2015 से अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

कलैक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 06.08.2015 के सन्दर्भ में व समन्यवयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर का पत्रांक नोसूअ/अजिक/गंगा/2012/प्रे0/739 दिनांक 14.08.15 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 08 अक्टूबर 2013 को माननीय अति0 न्यायिक मजि0 न0 2 भरतपुर द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को एक विभागीय प्रकरण में 1 माह का साधारण कारावास एवं रूपये 50000/— का जुर्माना लगाया गया था, जिसकी अपील माननीय सिविल न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश) भरतपुर में करने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.15 द्वारा मननीय अति0 न्यायिक मजि0 न0 2 के आदेश दिनांक 08.10.13 को खारिज कर दिया।

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र दिनांक 21.08.2015 से अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर